विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत स्थित पेट्रोल पम्पों के मानचित्रों के संबंध में विकास प्राधिकरणों द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा किये गये अनुरोध के संबंध में दिनांक 11.10.2021 को सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थितिः–

(1) श्री पवन कुमार गंगवार, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
(2) श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) श्री श्री ए0के0 मिश्र, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) श्री एन0आर0 वर्मा, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) श्री जी0एस0 गोयल, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) श्री रंजीत कुमार, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103–बी, प्रतिभा तीरथ, अपार्टमेन्ट्स, 1–विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ–226007

उक्त प्रकरण में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

2– अवगत कराया गया कि श्री रंजीत कुमार अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 17.09.2021 में उल्लेख किया गया कि प्रदेश में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए संबंधित तेल कम्पनी के पक्ष में संबधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत ही विस्फोटक विभाग द्वारा पैट्रोल पम्प का मानचित्र स्वीकृत किया जाता है। अवगत कराया गया है कि प्रदेश के कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित क्षेत्रों में कई वर्षो से संचालित पेट्रोल पम्पों पर विकास शुल्क की धनराशि के नोटिस देकर पम्प संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तत्क्रम में एसोसिएशन द्वारा उक्त कार्यवाही को रोकने का अनुरोध करते हुए निम्नवत् सुझाव दिये गये हैं :–

1. पेट्रोल पम्प भी अस्पताल व स्कूलों की तरह आवश्यक सेवा की श्रेणी में आते हैं। इस पर विकास शुल्क की गणना वाणिज्यिक दर पर नहीं की जानी चाहिए।

2. पेट्रोल पम्पों को सील कर उनकी बिकी बन्द नहीं की जाना चाहिए अपितु नियमानुसार पहले नोटिस देने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

3. पेट्रोल पम्प के लिए जिलाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तेल कम्पनी के नाम जारी किया जाता है इस लिए प्राधिकरण द्वारा नोटिस भी संबंधित तेल कम्पनी को ही जारी किया जाना चाहिए।

3– पेट्रोल पम्प एसोसिएशन द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. पहली श्रेणी के ऐसे पेट्रोल पम्प जो प्राधिकरण अस्तित्व के पहले से संचालित है या किसी भी महायोजना के अस्तित्व से पूर्व संचालित है।

पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के उक्त अनुरोध एवं सुझाव के क्रम में बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि कतिपय शहरों में स्थित पेट्रोल पम्प उस शहर में विकास प्राधिकरण की स्थापना के पहले से विद्यमान है। इस सम्बन्ध में निदेशक, आवास बन्धु द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी विकास क्षेत्र के गठन अथवा महायोजना लागू होने से पूर्व स्थित भवनों का प्रयोग जारी रखने के प्राविधान उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–16 के परन्तुक में विद्यमान है।

2. ऐसे पेट्रोल पम्प जो प्राधिकरण क्षेत्र में हैं तथा प्राधिकरण एवं महायोजना के अस्तित्व के आने के बाद के है अथवा इन पेट्रोल पम्प के लिये एन0ओ0सी0 भी प्राधिकरण द्वारा दी गयी है, लेकिन नक्शा स्वीकृति की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से नहीं कराई गई है।

उक्त के सम्बन्ध में बैठक में विचार–विमर्श के कम में यह मत स्थिर किया गया कि प्राधिकरणों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किये जाने से पूर्व यह स्पष्ट रुप से सूचीबद्ध कर लिया जाय, कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कौन से पेट्रोल पम्प विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के गठन अथवा महायोजना लागू होने के पश्चात बिना मानचित्र स्वीकृत कराये स्थापित/कार्यशील हैं। तद्नुसार पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ एवं पेट्रोल पम्प के महायोजनान्तर्गत स्थित होने की दशा में कम से कम दो तीन नोटिस जारी करने एवं पेट्रोल पम्प संचालक का पक्ष सुनने के उपरान्त ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय। विकास प्राधिकरण के गठन अथवा महायोजना लागू होने से उपरान्त स्थापित पेट्रोल पम्पों के भवनों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में सभी पक्षों से विचार–विमर्श कर विधि सम्मत प्रस्ताव तैयार कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 एवं निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ)

3. भविष्य में प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत किये जाने वाले पेट्रोल पम्प के बारे में नीतिगत निर्णय।

विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित पेट्रोल पम्पों के मानचित्र स्वीकृति हेतु बेहतर व्यवस्था प्रदान करने तथा पेट्रोल पम्प संचालकों की सुविधा के दृष्टिगत यह मत स्थिर किया गया, कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित पेट्रोल पम्प हेतु विकास प्राधिकरण के अर्जन विभाग के माध्यम से

अनापत्ति प्रदान करते समय नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही पम्प का संचालन किये जाने का उल्लेख अवश्य किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली एन0ओ0सी0 में भी इस बात का उल्लेख स्पष्ट हो, कि प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृति के उपरान्त ही पम्प का संचालन किया जाएगा।

(कार्यवाहीः– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अजय कुमार सिंह
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2693 / 8–3099 / 371 / 2021
लखनऊ : दिनांक : 03 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(2) अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) श्री एन0आर0 वर्मा (सलाहकार) आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) श्री जी0एस0 गोयल (सलाहकार) आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) श्री रंजीत कुमार, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103–बी, प्रतिभा तीरथ, अपार्टमेन्ट्स, 1–विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ–226007
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।